International Journal of Research
Special Issue for UGC Approved Journal-Hindi Papers
Available at https://edupediapublications.org/journals
e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 04 Issue 12
September 2017

भारत में संसदीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियां एवं भविष्य

मोनिका
एम.ए., एम.फिल, एवं नेट (राजनीति विज्ञान)

शोध आलेख सारः भारत में संसदीय लोकतंत्र का इतिहास एवं परम्परा विश्व में काफी पुराना है। वैदिक युग में भी भारत में संसदीय संस्थाऐं विद्यमान रही हैं। चूंकि मुगलकाल में संसदीय परम्पराओं पर कुठाराघात किया गया और ब्रिटिश युग में पुनः संसदीय संस्थाओं को जीवनदान देकर भारत में संसदीय लोकतंत्र की नींव मजबूत की गई। स्वतंत्रता के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस संसदीय व्यवस्था की परिकल्पना भारत में की थी, वह निरन्तर कुछ समस्याओं से ग्रस्त है। अतः आज इस बात की महती आवश्यकता है कि संसदीय लोकतंत्र के मार्ग में उत्पन्न चुनौतियों का समाधान निकाला जा सके और संसदीय लोकतंत्र के सुरक्षित भविष्य का आधार अभी से सभी भारतवासी मिलकर तैयार करें। प्रस्तुत शोध पत्र संसदीय लोकतंत्र के मार्ग में उत्पन्न प्रमुख चुनौतियों एवं इन्हें दूर करके संसदीय लोकतंत्र के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में प्रकाश डालता है।

मूलशब्दः संसदीय लोकतंत्र, संसदीय गरिमा, अपराधीकरण, मूल्यविहीनता, हिंसा, संसदीय जवाबदेही, साम्प्रदायिकता।

भूमिकाः वस्तुतः आज भारत में संसदीय लोकतंत्र कई समस्याओं से पीड़ित है। अधिकांश राजनैतिक विश्लेषकों का मानना है कि वर्तमान समय में संसद के साथ–साथ राज्य विधानमण्डल भी कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। आज कानून बनाने वाले ही कानून को तोड़ते हैं और राजनीति का आपराधीकरण एक आम बात हो चुकी है। मतदाताओं की जागरूकता के अभाव में निरन्तर बाहुबली सांसद संसदीय संस्थाओं में अपना स्थान सुनिश्चित कर रहे हैं। जब हमारे संविधान निर्माताओं ने

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 04 Issue 12
September 2017

संविधान का निर्माण करते समय जिन संसदीय परम्पराओं व मर्यादाओं की परिकल्पना की थी, वह आज लुप्त प्रायः हो गई है। यदि 2014 में गठित लोकसभा का अवलोकन किया जाए तो इसमें भी बड़ी संख्या में अपराधी सांसदों के रूप में विद्यमान हैं, जो संसदीय लोकतंत्र की परम्पराओं के लिए एक भयंकर चुनौती पेश कर रहे हैं। कई बार ऐसा देखने में आया है कि ऐसे सांसद निरर्थक बात संसद पटल पर करते हैं और संसदीय मर्यादाओं को तार–तार करने से भी परहेज नहीं करते। आज भारत में संसदीय लोकतंत्र कुछ निम्न प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त हैः–

- **संसदीय गरिमा का ह्रासः–** आज संसद शोर–शराबे का शिकार हो चुकी है और संसद में अनावश्यक बातों की तरफ अधिक ध्यान दिया जाता है। हमारे सांसद राष्ट्रहित की बजाय स्वहित में आवाज उठाते हैं। 2005 में पैसे लेकर प्रश्न पूछने का मुद्दा आज भी न्यायालय में विचाराधीन है। इससे संसदीय गरिमा को गहरी ठेस पहुंची है और हमारी संसदीय संस्थाऐं आकर्षणहीन हो गई हैं। हमारे सांसद सभापति की बात की अवेहलना करते कई बार देखे गए हैं और विपक्ष का व्यवहार भी संसदीय परम्पराओं के अनुकूल नहीं रहा है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि संसदीय कार्यवाही कई बार संसदीय हंगामें की भेंट चढती रही है। संसदीय भ्रष्टाचार की बढ़ती समस्या ने संसदीय लोकतंत्र के चेहरे पर कालिख पोत दी है। कई बार तो चुनाव में काले धन का प्रयोग आम बात मानी जाती है। हालांकि वर्तमान मोदी सरकार ने 2017 के बजट में ही यह व्यवस्था की है कि 2000रू से अधिक का चंदा किसी पार्टी द्वारा नकद नहीं लिया जायेगा। इसका एकमात्र उद्देश्य चुनाव में काले धन के प्रयोग को रोकना है। इसके साथ–साथ आज हमारी संसद में अपराधिक प्रवृति के लोग पहुंच कर संसदीय गरिमा को तार–तार कर रहे हैं। संसद में अनुशासनहीनता एक आम

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 04 Issue 12
September 2017

बात हो चुकी है और राजनीति में मूल्यविहिनता की समस्या को भी देखा जा सकता है।

- **राजनीतिक अपराधीकरण व मूल्यविहीनताः–** आजादी के बाद जितने भी सांसद संसद पटल पर आये थे, उनकी छवि साफ–सुथरी थी। परन्तु धीरे–धीरे हमारी संसदीय संस्थाओं में अपराधिक पृष्ठभूमि वाले सांसदों को प्रवेश निरन्तर जारी है, ये सांसद पुलिस और प्रशासन के साथ गठजोड़ करके राजनीतिक जीवन को दूषित करने में अहम् भूमिका निभाते हैं। उत्तरप्रदेश तथा बिहार में ऐसे सैंकड़ों बाहुबली हैं जो हिंसा की राजनीति के बल पर विधायक या सांसद बने हैं। 2009 में हमारी संसद में 162 सांसद आपराधिक पृष्ठभूमि के थे। यदि 2014 में गठित संसद का अवलोकन किया जाए तो आज भी बड़ी संख्या में आपराधिक छवि वाले सांसद संसद में मौजूद हैं। इनमें से कई सांसदों के विरूद्ध तो हत्या, डकैती, बलात्कार तथा अपहरण जैसे संगीन मामले न्यायालयों में विचाराधीन हैं। इस समस्या ने संसदीय लोकतंत्र में मूल्यविहीनता की समस्या को जन्म दिया है। इससे भारत का दलीय लोकतंत्र भी अवसरवाद का शिकार हो चुका है और राजनैतिक मूल्यविहीनता की समस्या एक आम बात मानी जाती है। 1991 में नरसिम्हाराव की सरकार को बचाने के लिए कई सांसदों को खरीदा गया था जो राजनीति में मूल्यविहीनता की पराकाष्ठा का सर्वोत्तम उदाहरण है।
- **राजनैतिक भ्रष्टाचारः–** भारत में 1952 में गठित प्रथम लोकसभा में कोई भी सांसद ऐसा नहीं था, जिस पर भ्रष्टाचार में आरोप में लिप्त होने के आरोप लगे हों। परन्तु 1989 के बाद निरन्तर गठबन्धन सरकारों में हमारे सांसदों पर कई घोटालों में लिप्त होने के पुख्ता प्रमाण जनता के सामने हैं। यू0पी0ए0–2 के नाम से जानी जाने वाली मनमोहन सरकार ने तो घोटालों का रिकार्ड ही ध्वस्त कर दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय तक के लिप्त होने के प्रमाण मिले

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 04 Issue 12
September 2017

और राजनैतिक भ्रष्टाचार चरम सीमा तक पहुंच गया। इस सरकार के कार्यकाल में 2जी स्पैक्ट्रम, कोयला आबंटन तथा राष्ट्रमंडल खेल घोटाले ने तो सारी सीमा ही पार कर दी। भारतीय मतदाता यह बात स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे कि जिन नेताओं को चुनकर उन्होंने संसद में भेजा है, वे घोटालों का काला इतिहास लिख देगें। अभी हाल ही में बिहार के कद्दावर नेता श्री लालू प्रसाद यादव के परिवार की संपत्तियों की जांच की गई तो घोटालों का इतिहास नये रूप में जनता के सामने उजागर हुआ। यह समस्या भारत के हर कोने में व्याप्त हैं और यह संसदीय लोकतंत्र के लिए एक भयंकर चुनौती है।

- **संसदीय जवाबदेही की कमीः–** भारतीय मतदाता अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करके सांसदों को संसद में भेजते हैं और यह आशा भी करते हैं कि वे उनके हितों का पोषण भी करेगें। परन्तु यह देखने में आया है कि एक बार सांसद बन जाने पर कई सांसद तो संसद के दरवाजे तक भी नहीं जाते। यदि जाते हैं तो उन्हें सोते हुए देखा जा सकता है। कई बार वे अपनी उपस्थिति मात्र ही दर्ज करवा पाते हैं और कोई सवाल जनहित में संसद पटल पर नहीं रखते। यदि वर्तमान लोकसभा की कार्यवाही पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि कई सांसद लंबे समय तक संसद से अनुपस्थित रहे हैं। इस चिन्ता को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी उजागर किया है। चूंकि संसद लोकतंत्र का वास्तविक प्रतिबिम्ब होती है और इसे जवाबदेही की दरकरार भारतीय मतदाता अवश्य करते हैं। अतः आज इस बात की महती आवश्यकता है कि संसदीय जवाबदेही सुनिश्चित करके संसदीय गरिमा की सुरक्षा की जाये।
- **चुनाव में धन की भूमिकाः–** वर्तमान समय में संसदीय संस्थाओं के चुनाव काफी खर्चीले हो गए हैं। गरीब व्यक्ति चुनाव लड़ने की सोच भी नहीं सकता और सोच भी ले तो बिना धन–बल के चुनाव जीत नहीं सकता। सांसदों व विधायकों

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 04 Issue 12
September 2017

द्वारा निर्धारित सीमा से बाहर जाकर चुनाव पर खर्चा किया जाता है और वोट तक खरीदकर सत्ता हथियाने के हरसंभव प्रयास किये जाते हैं। 1952 में प्रथम लोकसभा पर केवल 10.45 करोड़ रूपये खर्च आये थे जबकि 2014 में 16वीं लोकसभा के चुनाव में 3426 करोड़ रूपये खर्च आया।

- **चुनाव में जाली वोट की समस्याः–** गठबंधन की राजनीति में जाली वोट की समस्या संसदीय लोकतंत्र की एक प्रमुख समस्या के रूप में उजागर हुई है। कई राज्यों में बाहुबलियों द्वारा पोलिंग पार्टी को धमका कर फर्जी मतदान करने की घटनाऐं भी देखने को मिली हैं। हरियाणा में हाल ही में एक नेता पर जाली वोट बनवाने का मामला न्यायालय में चल रहा है। यदि समस्त राजनैतिक परिदृश्य का अवलोकन किया जाए तो पता चलता है कि मतदाता सूचियों में भी गड़बड़ करके जाली मतदान को अमली जामा पहनाया जाता है।
- **सम्प्रदायवाद व जातिवाद की बढ़ती भूमिकाः–** चूंकि भारतीय संविधान में स्पष्ट लिखा गया है कि जाति व धर्म के नाम पर राजनीति नहीं की जा सकती। परन्तु इसके बावजूद आरक्षण की राजनीति में वोट बैंक के रूप में जातिवाद का ही पोषण हुआ है। पंजाब में अकाली दल, तमिलनाडू में द्रमुक और अन्नाद्रमुक, महाराष्ट्र में शिवसेना आदि राजनैतिक दल जाति व धर्म की ही राजनीति करते आये हैं। हमारे सांसदों ने भी कभी संसद में इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि आने वाले समय में जातिवाद व सम्प्रदायवाद देश के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। 1984 में पंजाब में सिख आतंकवाद की घटनाऐं सम्प्रदायवाद की पुष्टि करती हैं। अभी हाल ही में सहारनपुर की घटना भी उत्तरप्रदेश की राजनीति में सांप्रदायिकता के जहर की पुष्टि करती है।
- **आंतकवाद की समस्याः–** वस्तुतः यह समस्या संसदीय लोकतंत्र के मार्ग में एक गंभीर चुनौती के रूप में निरन्तर विद्यमान रही है। भारत की स्वतन्त्रता के समय

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 04 Issue 12
September 2017

कश्मीर समस्या के रूप में उभरने वाली यह प्रथम समस्या थी जो आज एक नासूर बन चुकी है। पाकिस्तान की तरफ से निरन्तर आतंकवाद को बढावा दिया जा रहा है और अब तक भारत के हजारों सैनिक शहीद हो चुके हैं। 2001 में भारतीय संसद पर हुए हमले तथ 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकवादी हमले में पाकिस्तान का हाथ स्पष्ट हो चुका है। यद्यपि 2017 में मोदी सरकार ने आंतकवाद को खत्म करने के लिए एक सर्जिकल स्ट्राइक भी की है, परन्तु पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। कश्मीर के कई अलगाववादी नेताओं के खिलाफ टैरर फडिंग के पुख्ता प्रमाण भारतीय जांच ऐजेंसियों के हाथ लगे हैं। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा ऐजेंसियों ने अलगाववादी नेताओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ऐसी उम्मीद की जाती है कि आने वाले समय में भारत आतंकवादी की चुनौती से निपटने के लिए कारगर कदम उठाएगा।

- **नक्सलवाद की समस्याः** वर्तमान समय में नक्सलवाद की समस्या संसदीय लोकतंत्र के मार्ग में एक गंभीर चुनौती के रूप में उभर रही हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत के 13 राज्यों में 160 जिले इस समस्या से प्रभावित हैं। एक आतंरिक सुरक्षा समस्या के साथ–साथ नक्सलवाद कभी भी आतंकवादी ताकतों के साथ हाथ मिलाकर भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकता है। अतः इस दिशा में मोदी सरकार से सार्थक कदम उठाए जाने की अपेक्षा की जाती है।

सारांशः अतः आज भारत में संसदीय लोकतंत्र के सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं। कई राजनैतिक दल अवसरवादी राजनीति करते हैं और उनकी सोच क्षेत्रीय आकांक्षाओं पर आधारित है। अभी हाल ही में आरक्षण का मुद्दा हरियाणा, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, गुजरात तथा महाराष्ट्र में संसदीय लोकतंत्र के लिए एक चुनौती बनकर खड़ा है।

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 04 Issue 12
September 2017

गोरखालैंड की मांग को लेकर भी वर्तमान संसदीय सरकार के सामने गंभीर चुनौती पेश की गई है। विपक्षी दलों द्वारा वर्तमान सरकार पर साम्प्रदायिक होने के आरोप निरन्तर लगाए जा रहे हैं। इसके साथ–साथ हमारे कई मनोनित सांसद भी संसद में कम ही पहुंच रहे हैं। ऐसे में संसदीय परम्पराओं पर भी प्रश्न किये जा रहे हैं। अतः आज इस बात की महती आवश्यकता है कि संसदीय लोकतंत्र के मार्ग में उत्पन्न चुनौतियों से निपटने की दिशा में मतदाताओं के सहयोग से प्रयास किये जाऐं।

सन्दर्भ सूचीः

- कुलदीप नैयर, ''राजनीति में मजहब का मेल'', **दैनिक जागरण,** पानीपत, 21 दिसम्बर 2007.
- एन.के सिन्हा, **परिवर्तन और राजनीति**, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, 2008.
- जगमोहन, ''संसद की समस्या'', **दैनिक जागरण,** पानीपत, 3 अप्रैल 2008.
- मनोज सिन्हा, **समकालीन भारत : एक परिचय**, ओरिएण्ट ब्लैकस्वॉन, नई दिल्ली, 2012.
- हृदयनारायण दीक्षित, ''संसदीय मर्यादा का चीरहरण'', **दैनिक जागरण,** पानीपत, 7 सितम्बर, 2012.
- अरविन्द मोहन, ''घोटालों का डरावना इतिहास'', **दैनिक जागरण,** पानीपत, 24 जुलाई 2015.
- बी.एल.फाडिया एवं पुखराज जैन, **भारतीय शासन एवं राजनीति,** साहित्य भवन, आगरा, 2016.